न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :- Reg.Cri.Case/187/2022
सी एन आर नंबर :- RJBD140003842022

निर्णय दिनांकः- 28.03.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 94/2022 अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. **चेतन सैनी** पुत्र शिवराज माली उम्र 27 साल, 2. **दिनेश सैनी** पुत्र शिवराज माली उम्र 25 साल, 3. **बुद्धीप्रकाश उर्फ पवन** सैनी पुत्र शिवराज माली उम्र 24 साल, 4. **शिवराज** पुत्र छोटूलाल माली उम्र 53 साल, 5. **महावीर प्रसाद** सैनी पुत्र छोटूलाल माली उम्र 38 साल, 6. **श्रीमती भूली बाई** पत्नी शिवराज माली उम्र 48 साल, निवासीगण छत्रपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री धीरज जैन, विद्वान अधिवक्ता
अपराध की तिथि	16.05.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	16.05.2022
आरोप पत्र की तिथि	30.06.2022
आरोप के विरचना की तिथि	30.06.2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	14.09.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	28.03.2026
निर्णय की तिथि	28.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	-

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	**चेतन सैनी**	-	-	धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. 1860	**दोषसिद्धि**	-	-
2.	**दिनेश**	-	-	धारा 341,	**दोषसिद्धि**	-	-

				323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. 1860			
3.	**बुद्धीप्रकाश उर्फ पवन**	-	-	धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. 1860	**दोषसिद्धि**	-	-
4.	**शिवराज**	-	-	धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. 1860	**दोषसिद्धि**	-	-
5.	**महावीर**	-	-	धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. 1860	**दोषसिद्धि**	-	-
6.	**भूली बाई**	-	-	धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. 1860	**दोषसिद्धि**	-	-

अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-

(क) अभियोजन साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी-1	ललित	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-2	संदीप	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-3	कुलदीप	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-4	रूपसिंह	अनुसंधान साक्षी
अभियोजन साक्षी-5	संतोष	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-6	महेन्द्र	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-7	डॉ0 गणेशलाल	एमएलसी रिपोर्ट साक्षी
अभियोजन साक्षी-8	भूपेन्द्र	एक्सरे साक्षी
अभियोजन साक्षी-9	शंकरलाल	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-10	शंकरलाल	तहरीरी रिपोर्ट साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

(ग) न्यायालय साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	नक्शामौका	अभि. साक्षी–1, 4, 6, 10
2.	प्रदर्श पी-2	पुलिस बयान	अभि. साक्षी–3
3.	प्रदर्श पी-3	चोट प्रतिवेदन	अभि. साक्षी–7
4.	प्रदर्श पी-4	एक्सरे कंवरनोट	अभि. साक्षी–7, 8
5.	प्रदर्श पी-5	एक्सरे प्लेट	अभि. साक्षी–7, 8
6.	प्रदर्श पी-6	तहरीरी रिपोर्ट	अभि. साक्षी–10
7.	प्रदर्श पी-7	चाक एफआईआर	अभि. साक्षी–10

(ख) प्रतिरक्षा:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुए:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय ::

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव प्रार्थी शंकरलाल द्वारा थानाधिकारी थाना इन्द्रगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होकर एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.06 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 94/2022 दर्ज कर अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य है कि दिनांक 16.05.2022 को शाम को करीब 09.00 बजे फरियादी अपने कमरे में अपने बच्चे संदीप के साथ बैठा था। तभी महावीर जगनाथी बाई गाली–गलौच करने लगे व शिवराज, चेतन, दिनेश, बुद्धिप्रकाश सभी सुनियोजित तरीके से फरियादी के साथ लाठी से कमरे में मारपीट करते हुए उसके कपड़े पकड़कर बाहर घसीटते हुए लेकर आ गये। तब परिवार की औरतो ने बीच–बचाव किया तो उनके साथ भी बदसलूकी

करते हुए मारपीट पर उतारू हो गये। परिवार के पुरूषों की अनुपस्थिति में घटना निंदनीय व जानलेवा है...इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना इन्द्रगढ़ द्व ारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 94/2022 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा0दं0सं0 में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथमदृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 ललित, पी.ड02 संदीप, पी.ड03 कुलदीप, पी.ड04 रूपसिंह, पी.ड05 संतोष, पी.ड.06 महेन्द्र, पी.ड.07 डॉ गणेशलाल, पी.ड.08 भूपेन्द्र, पी.ड.09 शंकरलाल, पी.ड.10 शंकरलाल को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.07 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्तगण ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे। अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गएः–

1. 2024(1) Cr.L.R. (Raj.) 320

2. 2024(2) Cr.L.R. (Raj.) 641
3. 2023(1) Cr.L.R. (Raj.) 431
4. 2018 Cr.L.R. (SC) 368
5. 2018(3) Cr.L.R. (Raj.) 1189
6. 1984 Cr.L.R. (Raj.) 276

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16.05.2022 को रात्रि करीब 09.00 बजे ग्राम छत्रपुरा स्थित परिवादी के घर पर परिवादी शंकरलाल को बिना किसी विधिक प्रतिहेतु के निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं परिवादी शंकरलाल व उसके परिवार के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा गाली–गलौच करते हुए लोकशांति भंग करने का अपराध किया एवं विधि विरुद्ध जमाव कर बल या हिंसा का प्रयोग किया एवं घातक आयुध या किसी आकामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु संभाव्य हो से सज्जित होते हुए बलवा का अपराध कारित किया ?''

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.01 ललित ने कथन किया है कि करीबन दो साल पहले रात्रि के साढे आठ नो बजे की बात है। वह घर पर नही था काम करने गया था। उसके भाई संदीप का उसके पास फोन आया कि घ ार पर मारपीट हो रही है वह जल्दी आयें। वह गया तो देखा कि मुलजिम दिनेश, चेतन ,बुद्धिप्रकाश, महावीर, शिवराज और भूलीबाई मेरे पिताजी शंकर लाल को गालियां निकाल रहे थे। वह घर से कुएं पर उसके ताउ जी के लडके महेन्द्र और ताउ जी लवकुश और उसकी बा संतोष बाई को बुलाकर लेकर आया। फिर वे लोग उसके पिताजी के साथ थाने आ गये और वहां उसके पिताजी ने रिपोर्ट दर्ज करवायी। उसके पिताजी के चोटे आयी थी। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 01 पर उसके हस्ताक्षर है।

10. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.02 संदीप ने कथन किया है कि घटना को दो साल हो गये, रात्रि के आठ नो बजे की बात है। वह और उसके

पिताजी शंकरलाल जी उस समय घर पर ही थे। भूली बाई उसके पिताजी से गालियां निकालने लगी। फिर चेतन ,बुद्धि, महावीर, शिवराज उसके पिताजी शंकरलाल के साथ मारपीट करने लगे। मुलजिमान ने लात देकर उनका किवाड तोड दिया और उसके पिताजी को घसीटकर बाहर लेकर आ गये। फिर उसके भाई ललित को फोन किया। फिर उसका भाई ललित आया ,फिर महेन्द्र सैनी, लोकु ताउ जी,उसकी बडी मम्मी संतोष आयी। फिर उसके पापा ने उनसे कहा कि गालियां मत निकालों। उसके पिताजी के दोनों कंधो पर चोट आयी थी, उनके साथ लकडी से मारपीट की थी। लकडी चेतन के पास थी। फिर भाई ललित ने बीच बचाव करवाया था।

11. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.03 कुलदीप ने कथन किया है कि यह 16.05.2022 की रात को आठ–नौ बजे की बात है। वह घर पर खाना खा रहा था। घर के बाहर गाली–गलौच की आवाज सुनकर वह बाहर आया तो देखा कि शंकरलाल, लवकुश, महेन्द्र, विष्णु, संतोष, पवन के साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट में पवन के दाहिने हाथ की अंगुली व पैर में लगी हुई थी। शंकर पुत्र फुन्दीलाल व उसने बीच –बचाव किया था। शंकर व लवकुश,महेन्द्र,संतोष,सुगना के हाथों मे लकडियां थी।

12. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.04 रूपसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16.05.2022 को वह थाना इन्द्रगढ़ में हैडकानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थाना इंचार्ज लक्ष्मणसिंह हैडकानि. ने मुकदमा संख्या 94/2022 धारा 456, 323, 143, की अनुसंधान पत्रावली उसे सुपुर्द की थी। दौराने अनुसंधान बयान गवाहान शकंरलाल, संदीप सैनी , ललित उर्फ विष्णु महेन्द्र सैनी, श्रीमति संतोष सैनी के उनके कथनानुसार लेखबद्व किये थे। दिनांक 18.05.2022 को फरियादी की निशानदेही से घटनास्थल का नक्शामौका मुर्तिब किया था। जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मजरूब शंकरलाल की एम.एल.सी प्राप्त की जो शामिल पत्रावली है। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिमान चेतन सैनी पुत्र शिवराज सैनी ,दिनेश सैनी पुत्र शिवराज सैनी, बुद्विप्रकाश उर्फ पवन पुत्र शिवराज सैनी शिवराज पुत्र छोटूलाल, महावीर पुत्र छोटूलाल, श्रीमति भूलीबाई पत्नी शिवराज निवासीगण छतरपुरा के विरूद्व धारा 147,148,149,341,323,504 भा.द.स. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर ए.पी.पी. से

राय प्राप्त कर पत्रावली एस.एच.ओ साहब को सुपुर्द की। एस.एच.ओ साहब ने चालान आदेश प्राप्त कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।

13. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.05 संतोष ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह आज से करीब तीन–साढ़े तीन साल पहले की रात को 9 बजे की बात है। शंकर के घर की घटना है, वह और उसका पति कुंए पर ही थे। वहां पर अचानक संदीप रोता हुए उनके पास गया उसने बताया कि उसके पिताजी शंकर के साथ मारपीट कर रहे है। वह वहां पर गये तो भूलीबाई, गीताबाई, उन्हें व उसके देवर शंकर को गाली निकाल रहे थे। वहां पर चेतन, बुद्विप्रकाश, दिनेश, महावीर, शिवराज लकडी से शंकर के साथ मारपीट कर रहे थे। उसने व उसके पति ने बीच–बचाव किया था। उसके देवर शंकर के दोनों कंधो, कमर में, पैरों पर लकडी की मारी थी। उसके देवर शंकर के पिता का नाम शंकरलाल है।

14. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.06 महेन्द्र ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह दिनांक 16.05.2022 की रात को आठ–नौ बजे की छतरपुरा में उसके चाचा शंकरलाल के मकान की घटना है। उसके माताजी के वहा पर काम कर रहा था, तभी उसके पास उसके चाचा के लडके ललित उर्फ विष्णु ने बताया कि उसके पिताजी शंकर के साथ गाली–गलौच व मारपीट कर रहे है। वह गाडी लेकर मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि भूलीबाई, अनिता गाली–गलौच कर रही थी। दिनेश, बुद्विप्रकाश, चेतन, महावीर, चारों के हाथ में लकडी थी, उसके चाचा के साथ मारपीट कर रहे थे। शिवराज भी गाली–गलौच व मारपीट कर रहा था, उसके चाचा शंकर के दोनों कंधो पर व पीठ पर लकडी की मारी थी। उसने व उसके पापा लवकुश व उसकी मम्मी संतोष ने बीच–बचाव कराया था। पुलिसवालें मौका मुआयना करने के लिए दो दिन बाद उसके चाचा शंकरलाल के मकान पर आये थे, वहा पर मौका मुआयना किया था। नक्शामौका प्रदर्श पी 1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

15. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.07 डॉ0 गणेशलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह 16.05.2022 दिनांक को सी.एच.सी इन्द्रगढ़ में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने थाना इन्द्रगढ़ के

प्रतिवेदन पर मजरूब शंकरलाल पुत्र श्रवणला उम्र 50 साल जाति माली निवासी छतरपुरा की चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर निम्न चोंटे थी : चोट संख्या 1 दर्द व सूजन जो बाये कंधे पर कारित थी। जिसके लिए एक्स–रे की राय दी। चोट संख्या 2 नीलगू जो दाये कंधे पर कारित थी। चोट संख्या 3 नीलगू जो दाये कंधे स्केपुलर रीजन पर कारित थी। बाद एक्स–रे चोट संख्या 1, 2 व 3 साधारण प्रवृति एंव कुन्द हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर एवं मजरूब का पहचान चिहन है व उसकी राय अंकित है। एक्स–रे कवर नोट प्रदर्श पी.04 है उसके हस्ताक्षर होकर उसकी राय अंकित है। एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी.05 है।

16. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.08 भूपेन्द्र ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 20.05.2022 को सी.एच.सी इन्द्रगढ़ में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर तैनात था। उस दिन डॉगणेशलाल मीणा के प्रतिवेदन पर उसने मजरूब शंकरलाल पुत्र श्रवणलाल के बाये कंधे का एक्स–रे किया था, एक्स–रे कवरनोट प्रदर्श पी 4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। एक्स–रे प्लेट शामिल पत्रावली है।

17. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.09 शंकरलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह छत्रपुरा रहने वाला हूं। यह आज से करीब 2–3 साल पहले की बात है। वह दूध देकर इन्द्रगढ़ से अपने गांव छत्रपुरा आ रहा था, हाई सैकण्डरी स्कूल के गेट के पास की बात है, शिवराज व शंकर के मकान आमने–सामने है, दोनों में आपस में लडाई झगडा हो रहा था। उसने घटना में बीच–बचाव किया था। घटनास्थल पर 20–25 आदमी इकठ्ठा हो गये थे। घटना में बुद्वि के चोट आयी थी।

18. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.10 शंकरलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है यह दिनांक 16.05.2022 की रात्रि के 9 बजे की बात है। वह अंदर घर में बैठा हुआ था, उसके घर के किवाड चेतन, बुद्वि, व दिनेश ने तोड दिये, महावीर ने उसके कंधे पर लकडी की मारी थी। उसे घसीटकर बाहर ले आये व गाली–गलौच करने लगे। बाहर शिवराज व नाथीबाई खडे थे। शिवराज ने उसका पांव मरोड दिया जिससे उसके लकवा हो गया। उसका बायां हाथ काम

नही कर रहा। उसके साथ शिवराज व महावीर ने मारपीट की। नाथीबाई ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था। महावीर ने उसके मुक्के से मारी थी, उक्त घटना की उसने थाना इन्द्रगढ़ में रिपोर्ट दी थी। इन्द्रगढ़ अस्पताल में उसका मेडिकल कराया था। पुलिस वाले घटना के 3 दिन बाद मौका मुआयना करने गये थे। मुलजिमान व उनके बीच जमीन के मामले को लेकर विवाद चल रहा है। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी. 06, चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी.07 नक्शामौका प्रदर्श पी.01 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसके साथ मारपीट घर के अंदर की थी।

19. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना था कि क्या फरियादी व उसके परिवारजन को कुन्दालय से साधारण उपहति कारित हुई है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.07 गणेशलाल को चिकित्सा अधिकारी के रूप में परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने कथन किया है कि मजरूब शंकरलाल पुत्र श्रवणलाल की चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर चोट संख्या 1 दर्द व सूजन जो बाये कंधे पर कारित थी एवं चोट संख्या 2 नीलगू जो दाये कंधे पर कारित थी एवं चोट संख्या 3 नीलगू जो दाये कंधे स्केपुलर रीजन पर कारित थी। बाद एक्स–रे चोट संख्या 1, 2 व 3 साधारण प्रवृति एंव कुन्द हथियार से कारित होना पायी गई एवं चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.03 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किए जाने के संबंध में कथन किया है। अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है कि क्यों उक्त चिकित्सा अधिकारी की साक्ष्य पर अविश्वास किया जाना चाहिए। ऐसे में चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई साक्ष्य पूर्ण रूप से अखण्डनीय रही है। अतः उक्त चिकित्सा अधिकारी की राय के आधार पर यह प्रमाणित है कि फरियादी को अभियुक्तगण द्व ारा साधारण उपहति कुन्दाले से कारित की गई है।

20. अब न्यायालय को यह देखना था कि क्या उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा ही फरियादी के साथ मारपीट करके कारित की गई है। इस संबंध में फरियादी की ओर से पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी.06 में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट देते हुए उनके द्वारा एकराय होकर लाठी से मारपीट किए जाने के संबंध में कथन कर रखा है एवं उक्त गवाह जब न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ तो स्वयं को पी.ड.02 के रूप में परीक्षित करवाते हुए अपने

मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बाहर शिवराज व नाथीबाई खडे थे। शिवराज ने उसका पांव मरोड दिया जिससे उसके लकवा हो गया। उसका बायां हाथ काम नही कर रहा। **उसके साथ शिवराज व महावीर ने मारपीट की। नाथीबाई ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था।** महावीर ने उसके मुक्के से मारी थी, उक्त घ ाटना की उसने थाना इन्द्रगढ़ में रिपोर्ट दी थी एवं स्वयं आहत/फरियादी अपनी रिपोर्ट व अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने के तथ्य की ताईद कर रहा है तथा अन्य गवाह पी.ड.01 ललित उर्फ विष्णु ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मुलजिम दिनेश, चेतन, बुद्धिप्रकाश, महावीर, शिवराज और भूलीबाई मेरे पिताजी शंकरलाल को गालियां निकाल रहे थे एवं पी.ड. 02 संदीप ने कथन किया है कि वह और उसके पिताजी शंकरलाल जी उस समय घर पर ही थे। **भूली बाई उसके पिताजी से गालियां निकालने लगी। फिर चेतन ,बुद्धि, महावीर, शिवराज उसके पिताजी शंकरलाल के साथ मारपीट करने लगे।** मुलजिमान ने लात देकर उनका किवाड तोड दिया और उसके पिताजी को घसीटकर बाहर लेकर आ गये। मेरे पिताजी के दोनों कंधो पर चोट आयी थी। उनके साथ लकडी से मारपीट की थी। लकडी चेतन के पास थी। पी.ड.03 कुलदीप ने कथन किया है कि **घर के बाहर गाली–गलौच की आवाज सुनकर बाहर आया तो देखा कि शंकरलाल, लवकुश, महेन्द्र, विष्णु, संतोष, पवन के साथ मारपीट कर रहे थे।** पी.ड.05 संतोष ने कथन किया है कि वहां पर अचानक संदीप रोता हुए उनके पास गया उसने बताया कि मेरे पिताजी शंकर के साथ मारपीट कर रहे है। वह वहां पर गये तो भूलीबाई, गीताबाई हमें व मेरे देवर शंकर को गाली निकाल रहे थे। वहां पर चेतन, बुद्विप्रकाश, दिनेश, महावीर, शिवराज लकडी से शंकर के साथ मारपीट कर रहे थे। मैंने व मेरे पति ने बीच–बचाव किया था। पी.ड.06 महेन्द्र ने कथन किया है कि दिनेश, बुद्विप्रकाश, चेतन, महावीर, चारों के हाथ में लकडी थी, उसके चाचा के साथ मारपीट कर रहे थे। शिवराज भी गाली–गलौच व मारपीट कर रहा था, उसके चाचा शंकर के दोनों कंधो पर व पीठ पर लकडी की मारी थी। ऐसे में स्वयं फरियादी व अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित सभी गवाहों ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के परिवारजन के साथ मारपीट किये जाने के तथ्यों की ताईद कर रहे हैं। उक्त गवाहों की जिरह में कोई खण्डन उनकी साक्ष्य का नहीं हुआ है एवं अभियुक्तगण द्वारा आहतगण को कारित चोटे चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है।

21. अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से एक आपत्ति यह ली गई है कि गवाह पी.ड.01, पी.ड.05 व पी.ड.06 यह कथन कर रहे हैं कि उनके आने के पश्चात उनके सामने मारपीट हुई नहीं हुई है एवं उनके पहले मारपीट हुई है। इस संबंध में उनकी ओर से दी गई साक्ष्य का अवलोकन करे तो उक्त गवाह अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी के साथ मारपीट किए जाने के तथ्य से इन्कार नहीं कर रहे हैं। भले ही वह बाद में घटनास्थल पर उपस्थित हुए हो। उक्त गवाह जब उपस्थित हुए तो वहां अभियुक्तगण के भी उपस्थित होने व गाली–गलौच करने के तथ्य के संबंध में कथन कर रहे हैं व किसी भी गवाह ने आहत के साथ मारपीट नहीं हुई हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है बल्कि अभियुक्तगण के द्वारा ही मारपीट किए जाने के तथ्य की ताईद की है एवं उनके सामने लड़ाई–झगड़ा होने के संबंध में तथ्य की ताईद वह अपने बयानों में कर रहे हैं। ऐसे में उक्त सूक्ष्म विरोधाभास के कारण उनके द्वारा दी गई साक्ष्य को पूर्ण रूप से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अतः अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से ली गई आपत्ति सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

22. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा एक आपत्ति यह भी ली गई है कि उक्त चोटें गिरने–पड़ने से भी आ सकती है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि उक्त चोटें किस प्रकार से गिरने–पड़ने से आयी है एवं किस चीज पर गिरने–पड़ने से आयी है। मात्र मौखिक रूप से कथन किये जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आहतगण को चोटें गिरने–पड़ने से आयी हो, जबकि फरियादी को उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा लाठी से मारपीट करने का बता रहा है। ऐसे में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा ली गई आपत्ति सारहीन है। अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आई है उससे फरियादी को साधारण उपहति कुन्दालय से कारित होना प्रमाणित है तथा आहत को उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा कारित किया जाना प्रमाणित है।

23. जहां तक धारा 147 सपठित 149 भा.दं.सं. के अपराध का प्रश्न है तो न्यायालय को यह देखना था कि क्या विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया गया है तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष सर्वप्रथम तो पूर्व में साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण पांच या

पांच से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एकत्रित होकर आए थे एवं स्वयं फरियादी ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.06 तथा बयान पी.ड.10 में एवं अन्य सभी गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में कथन कर रहे हैं व गवाह पी.ड.07 जो कि चिकित्सा अधिकारी है, उक्त ने स्वयं के द्वारा परिवादी के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया है व आहत को कुन्द हथियार से साधारण प्रकृति की चोटें कारित होना बताया है। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि परिवादी को साधारण उपहति कुन्दाले से कारित हुई है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा ही कारित की गई है तो अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि उक्त विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा दल कि किसी सदस्य के द्वारा बल व हिंसा का प्रयोग किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147 सपठित 149 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित है।

24. **जहां तक धारा 148 भा.दं.सं. का प्रश्न है तो** न्यायालय को यह देखना था कि क्या बलवा कारित करते वक्त विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कारित करने आए हैं तो इस संबंध में फरियादी ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.06 में उसके साथ लाठी से मारपीट करने के संबंध में कथन किया है व न्यायालय के समक्ष बयानों में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित सभी गवाहों ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में कथन किया है व स्वयं आहत ने इसकी ताईद की है। ऐसे में उक्त साक्षी अभियुक्तगण के द्वारा एकराय होकर मारपीट किए जाने के संबंध में कथन कर रहे हैं। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि बलवा कारित करते समय विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा घातक आयुध के द्वारा बलवा कारित किया गया है। अत : अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 148 भा.दं.सं. का अपराध भी प्रमाणित पाया गया है।

25. अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. में अपराध प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 16.05.2022 को रात्रि करीब 09.00 बजे ग्राम छत्रपुरा स्थित परिवादी के घर पर परिवादी शंकरलाल को बिना किसी विधिक प्रतिहेतु के निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं परिवादी शंकरलाल व उसके परिवार के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण

उपहति कारित की तथा गाली–गलौच करते हुए लोकशांति भंग करने का अपराध किया एवं विधि विरुद्ध जमाव कर बल या हिंसा का प्रयोग किया एवं घातक आयुध या किसी आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु संभाव्य हो से सज्जित होते हुए बलवा का अपराध कारित किया। अतः अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

26. परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण 1. चेतन सैनी** पुत्र शिवराज माली उम्र 27 साल, **2. दिनेश सैनी** पुत्र शिवराज माली उम्र 25 साल, **3. बुद्धीप्रकाश उर्फ पवन सैनी** पुत्र शिवराज माली उम्र 24 साल, **4. शिवराज** पुत्र छोटूलाल माली उम्र 53 साल, **5. महावीर प्रसाद सैनी** पुत्र छोटूलाल माली उम्र 38 साल, **6. श्रीमती भूली बाई** पत्नी शिवराज माली उम्र 48 साल, निवासीगण छत्रपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

27. **सजा के बिंदू** पर सुना गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित सजा से दंडित किए जाने का निवेदन किया। जबकि अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया कि प्रथमदृष्टया अपराध है। अतः आरोपीगण को परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर लाभ प्रदान किया जावें।

28. अभिलेख से अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि प्रकट नहीं होने से उक्त अपराध अभियुक्तगण का प्रथम अपराध दृष्टिगत होता है एवं अभियुक्तगण लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे है। **उक्त प्रकरण का कोस मुकदमा संख्या 188/2022 बउनवान राज्य बनाम शंकरलाल वगै0 है एवं प्रकरण आपसी लड़ाई–झगड़े का प्रतीत होता है।** अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय अभियुक्तगण को सीधे ही कारावास के दंड से दंडित करना न्यायसंगत नहीं पाता है किंतु सुधार का एक अवसर दिए

जाने हेतु आरोपी/अभियुक्तगण को परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाता है।

29. एतद् द्वारा अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 6 को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध में दोषसिद्धि पर अभियुक्तगण धारा 4 परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानुसार यदि 10,000 रूपये की एक सुदृढ़ जमानत व इसी राशि का स्वयं का बंधपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए इस आशय का पेश कर न्यायालय के संतुष्टिप्रद तस्दीक करावें कि वह भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, सदाचार शांति बनाए रखेंगे तथा जब भी न्यायालय दंड भुगतने हेतु तलब करेगा तो न्यायालय में उपस्थित हो जावेगे तो उसे परीवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण को धारा 5 (1) (क) परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानानुसार रूपये 1000 (अक्षरे एक हजार रूपये) अभियोजन व्यय के रूप में एवं प्रतिकर राशि के रूप में 6x1000 कुल 6000/– रुपये (अक्षरे छः हजार रूपये) अधिरोपित किये जाते है जो कि बाद गुजरने मियाद अपील आहत/परिवादीगण को अदा किये जावेंगे।

30. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करें।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

31. निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़